

## आयकर नियम, 1962

### <sup>1</sup>फॉर्म नं. 15G

#### [अनुभाग 197A(1), 197A(1A) और नियम 29C देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 ए(1) और धारा 197 ए (1ए) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ आय का दावा करने वाले एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म न हो) द्वारा होगी

#### भाग I

1. निर्धारित का नाम (घोषणाकर्ता)		2. निर्धारित का पैन <sup>1</sup>		
3. स्थिति <sup>2</sup>		4. पिछला वर्ष (P.Y.) <sup>3</sup> (जिसके लिए घोषणा की जानी है)		5. आवासीय स्थिति <sup>4</sup>
6. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	7. परिसर का नाम		8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/स्थान
10. कस्बा/शहर/जिला	11. राज्य	12. पिन		13. ईमेल
14. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.		15. (a) क्या आयकर अधिनियम के तहत कर का आकलन किया गया है, 1961 <sup>5</sup> : <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (b) अगर हां, तो नवीनतम आकलन वर्ष जिसके लिए आकलन किया गया है		
16. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है		17. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 16 में उल्लिखित आय को शामिल किया जाना है <sup>6</sup>		
18. पिछले वर्ष के दौरान दायर किए गए इस फॉर्म के अलावा फॉर्म नंबर 15G का विवरण, अगर कोई हो? <sup>7</sup>				
दायर किए गए फॉर्म नं. 15G की कुल संख्या		आय की कुल राशि जिसके लिए फॉर्म नं. 15G दायर किया गया		
19. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दायर की गई है				
क्रम संख्या	प्रासंगिक निवेश/खाते आदि की पहचान संख्या <sup>8</sup>	आय की प्रकृति	वह अनुभाग जिसके तहत कर कटौती योग्य है	आय की राशि

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर<sup>9</sup>

#### घोषणा/सत्यापन<sup>10</sup>

\*मैं/हम.....एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर जो बताया गया है वह \*मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सच है। \*मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस फॉर्म में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। \*मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि कॉलम 16 में संदर्भित \*आय सहित \*मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय पर कर और कॉलम 18 में संदर्भित \*आय की कुल राशि की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है जो आकलन वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए शून्य होगा। \*मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि कॉलम 16 में संदर्भित \*मेरी/हमारी \*आय और आकलन वर्ष ..... के संबंध में ..... को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए कॉलम 18 में संदर्भित \*आय की कुल राशि उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

स्थान: .....

तिथि: .....

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर<sup>9</sup>

1. आईटी(चौदहवां संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित नियम 2015, 1-10-2015 से प्रभावी. इससे पहले का फॉर्म नं. 15G, आईटी (पांचवां संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया गया था नियम, 1982, 21-6-1982 से प्रभावी और बाद में आईटी (पांचवां संशोधन) द्वारा संशोधित किया गया नियम, 1989, 1-4-1988 से प्रभावी, IT (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990, 20-11-1990 से प्रभावी और आईटी (बारहवां संशोधन) नियम, 2002, 21-6-1982 से प्रभावी और आईटी (आठवां संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम, 2003, 9-6-2003 से प्रभावी और आईटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2013, 19-2-2013 से प्रभावी।

**भाग II**

**[भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए]**

1. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम		2. अद्वितीय पहचान सं. <sup>11</sup>	
3. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पैन		4. पूरा पता	5. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का TAN
6. ईमेल	7. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	8. भुगतान की गई आय की राशि <sup>12</sup>	
9. वह तिथि जब घोषणा प्राप्त हुई (DD/MM/YYYY)		10. वह तिथि जब आय का भुगतान/क्रेडिट किया गया है (DD/MM/YYYY)	

स्थान: .....

तिथि: .....

भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे हटा दें।

1. अनुभाग 206AA(2) के प्रावधानों के अनुसार, अनुभाग 197A(1) या 197A(1A) के तहत घोषणा तब अमान्य होगी जब घोषणाकर्ता अपनी मान्य स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
2. अनुभाग 197A(1) के तहत इंडिविजुअल और अनुभाग 197A(1A) के तहत व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है।
3. वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।
4. कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 6 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय स्थिति का उल्लेख करें।
5. कृपया "हां" का उल्लेख तब करें जब घोषणा दायर करने के वर्ष से पिछले छह आकलन वर्षों में किसी भी वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर का आकलन किया गया हो।
6. कृपया उस पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा दायर की गई है, इसमें आय की वह राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।

7. अगर पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दायर करने से पहले फॉर्म नं. 15G में कोई भी घोषणा दायर की गई है, तो उस आय की कुल राशि के साथ दायर किए गए इस तरह के फॉर्म नंबर 15G की कुल संख्या का उल्लेख करें जिसके लिए उक्त घोषणा दायर की गई है।
8. शेरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
9. वह क्षमता दर्शाएं जिसमें एचयूएफ, एओपी आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई है।
10. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को इस बात से स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी तरह से सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में झूठा कथन देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 277 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और दोषी पाए जाने पर दंड पाने का अधिकारी होगा-
  - (i) ऐसी स्थिति में जहां कर चोरी पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहां जुर्माने के साथ कठोर कारावास का दंड होगा और यह कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और इसे सात वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;
  - (ii) किसी भी अन्य मामले में, जुर्माने के साथ कठोर कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा और दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
11. भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नं. 15G को अद्वितीय पहचान संख्या आवंटित करेगा और इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 का 31A(4)(vii) में निर्धारित विवरण के साथ करेगा। अगर व्यक्ति ने उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नं.15H प्राप्त किया है, तो कृपया फॉर्म नं. 15G और फॉर्म नं. 15H के लिए क्रम संख्या की अलग श्रृंखला आवंटित करें।
12. भाग I के कॉलम 16 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहां अनुभाग 197A के उप-अनुभाग (1) या उप-अनुभाग (1A) में संदर्भित प्रकृति वाली आय की राशि या शामिल की जाने वाली इस तरह की आय वाले पिछले वर्ष के दौरान क्रेडिट या भुगतान की गई या क्रेडिट की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली इस तरह की आय की कुल राशि उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। पात्रता का निर्णय करने के लिए, उसे कॉलम 16 और 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई आय या आय की कुल राशि, जैसी भी स्थिति हो, को सत्यापित करना होगा।